संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, खण्ड–चार, नवा रायपुर अटल नगर 491002
फोनः 0771 – 2412840, 2413423, फैक्सः 0771–2412849, Email: miningdgmcg@gmail.com

क्रमांक 1455-81 / खनि 02 / रेत (मूल) / 38 / 1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 SEP 2019

प्रति,

उप संचा. / खनि अधि. / सहा.खनि अधि.
जिला कार्यालय (खनि शाखा)
जिला – सर्व जिला (छ.ग.)

विषय :– रेत खदान समूहों का नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) के एन.आई.टी. की कंडिका 2.6 में मार्गदर्शन बाबत्।

—:0:—

उपरोक्त विषयांतर्गत कई जिलों से एक ही व्यक्ति द्वारा स्वयं के नाम से एक ही रेत खदान समूह के लिए एक से अधिक लिफाफा बंद बोली प्रस्तुत किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 6 (2) (क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि एन.आई.टी. की कंडिका 2.6 अनुसार "किसी भी जिले में किसी एक रेत खदान समूह के लिए किसी व्यक्ति / फर्म / कंपनी द्वारा उसके स्वयं के नाम पर मात्र एक ही लिफाफा बंद बोली प्रस्तुत किया जा सकेगा। यदि एक ही व्यक्ति / फर्म / कंपनी के नाम से एक से अधिक लिफाफा बंद बोली पायी जाती है, ऐसी परिस्थिति में पंजी प्ररूप–3 के सरल कमांक अनुसार पहले दर्ज लिफाफा ही तकनीकी अर्हता हेतु मान्य किया जाएगा। एक ही नाम से अन्य लिफाफों को बगैर खोले लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुये जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अमान्य किया जाएगा।

12/9/19
संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़